

निर्णय बईजलास अजय सिंह राठौड़ आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,  
झालावाड़

तारीख दायरा 04.04.2023

मि0न0 60 / प्रा0पत्र / 23

उनवान प्रा0पत्र

राज0 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय,  
झालावाड़

प्रार्थी

बनाम

श्री सुनील आत्मज बनवारी माली

नि0 एन एच 52 ग्राम अकतासा तहसील असनावर, झालावाड़

अप्रार्थी

प्रा0अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्त 23 अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर तथा गैस रिफिलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित:- पेरोकार रसद

-: निर्णय :-

दिनांक: 13.02.2024

यह प्रा0पत्र जिला रसद कार्यालय झालावाड़ के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत पेश किया गया है। प्रा0पत्र मेंमें निवेदन किया है कि दिनांक: 24.03.2023 को मौका स्थल पर पहुंचे जहां घरेलू गैस सिलेण्डर का दुरुपयोग एवं अवैध रूप से भण्डारण किया जाना प्रतीत होना पाया गया। मौके पर अप्रार्थी सुनील आत्मज बनवारी माली उपस्थित मिले। वक्त जांच तलाशी लेने पर 23 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर तथा गैस रिफिलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जब्त 23 घरेलू एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर व मोटर को मेसर्स दुर्गादेवी गैस एजेन्सी झालारापाटन के उपस्थित प्रतिनिधी श्री मनोज गुप्ता की सुपुर्दगी में दिये गये। फर्द मौका जब्ती एवं सुपुर्दगीनामा मौके पर अलग से बनाया गया। अनुदानित घरेलू गैस का अवैध उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जप्तशुदा उक्त सामग्री को राजसात करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया अप्रार्थी द्वारा दिनांक: 13.02.2024 को उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर अंकन किया कि प्रार्थी यहां से जप्त गैस सिलेण्डर दुर्गादेवी गैस एजेन्सी ने ही ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाय हेतु रखे जाना बताया है तथा शाम को सम्बन्धित उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त कर अपने उपयोग के लिये घर ले जाते हैं। जानकारी के अभाव में अपने यहां उपभोक्ताओं के घरेलू गैस सिलेण्डर रखा गये थे। अप्रार्थी को प्रकरण से मुक्त किया जाकर उपभोक्ताओं के जो सिलेण्डर जब्त किये गये हैं वापस दिलवाने के आदेश फरमावें।

जिला कलक्टर  
झालावाड़

बहस सुनी गई। परोकार रसद द्वारा दौरान बहस व्यक्त किया कि प्रवर्तन स्टाफ घरेलू गैस सिलेंडरों व अन्य सामग्री के अवैध व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिये जांच हेतु मौका स्थल पर पहुंचे। वक्त जांच तलाशी लेने पर 23 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर तथा गैस रिफिलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी द्वारा सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करके LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1)(सी) की स्पष्ट अवहेलना की है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत अभिग्रहित सामान को राजसात किया जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अतिक्रमण किया व बहस पर मनन किया। प्रवर्तन स्टाफ द्वारा अप्रार्थी की यहां की गई कार्यवाही के दौरान तलाशी लेने पर 23 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर तथा गैस रिफिलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर का भण्डारण होना पाया गया। जिस हेतु मांग करने पर भण्डारण संबंधित किसी भी तरह का वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि घरेलू गैस सिलेण्डर घरेलू उपभोक्ताओं के उपयोग के लिये है, दौरान तलाशी गैस सिलेण्डर के साथ गैस रिफिलिंग में काम में ली जाने वाली मोटर का मिलना इससे यह जाहिर है कि अप्रार्थी घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध व्यवसायिक उपयोग करता है। अप्रार्थी द्वारा बिना किसी वैध दस्तावेज के 23 घरेलू गैस सिलेण्डर व गैस रिफिलिंग में काम में ली जाने वाली मोटर को रखना घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है। इस प्रकार यह साबित है कि अप्रार्थी द्वारा अनुदानित घरेलू गैस सिलेण्डर से अवैध रूप से गैस सिलेण्डर से रिफिलिंग का कार्य किया जाता है। अप्रार्थी का यह कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (सी), 4(1)(सी) का स्पष्ट उल्लंघन है। अप्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजों साक्ष्य मान्य नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा 23 घरेलू एलपीजी एचपीसीएल कम्पनी के सिलेण्डर तथा गैस रिफिलिंग में काम ली जाने वाली 01 मोटर को राजसात किया जाता है—साथ ही राजसात किये गये गैस सिलेण्डर को संबंधित तेल/गैस कम्पनी को लोटाये जाने तथा इनको नये जारी होने वाले गैस कनेक्शनों के उपभोक्ताओं को जारी कर इससे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराये जाने का आदेश दिया जाता है। जब्त मोटर का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रियानुसार निस्तारण किया जावे। निर्णय की प्रति पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमिल जाबता दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक: 13.02.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/02/24  
(अजय सिंह राठौड़)  
जिला कलेक्टर  
झालावाड़